मा0 उच्च न्यायालय सन्दर्भ/अत्यन्त महत्वपूर्ण

परिपत्र संख्या-कम्प्यूटर-न्याय-2/वापसी/19/2011-2012/ **1112048** / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वाद अनुभाग)

दिनांक::दिनांक:: **19** ::अगस्त-2011

1- **समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,**
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- **समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2**

3- **समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर /**
डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर /
वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषयः-व्यापारियों को वापसी योग्य धनराशि का रिफण्ड एवं ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या--न्याय-2/वापसी/19/2010-2011/0809067/वाणिज्य कर दिनांक 01-10-2008 द्वारा उपर्युक्त प्रकरण में मुख्यालय के पूर्व में जारी परिपत्रों का सन्दर्भ देते हुए स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि व्यापारियों को देय रिफण्ड विधिक व्यवस्था के अनुसार निर्धारित अवधि में दे दिया जाय। यदि विशेष कारणों से रिफण्ड देने में विलम्ब होता है तो देय ब्याज की धनराशि का मुख्यालय से बजट प्राप्त करके ब्याज का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाय, परन्तु इतने स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी अब भी रिफण्ड की शिकायते मुख्यालय पर लगातार प्राप्त हो रही हैं और व्यापारियों को समय के अन्दर रिफण्ड न दिये जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकाये दायर की जा रही हैं और मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभाग के विरुद्ध कास्ट एवार्ड की जा रही है।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या-1401 दिनांक 30-7-2011 से यह अवगत कराया गया है कि अब भी मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विलम्ब से रिफण्ड दिये जाने के मामले प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनमें रिफण्ड के साथ-साथ ब्याज नही दिया जा रहा है, जबकि विलम्ब से रिफण्ड दिये जाने की स्थिति में ब्याज दिया जाना विधिक अनिवार्यता है। ऐसे ही एक मामला रिट पिटीशन संख्या-330/2007 सर्वश्री चोब सिंह कम्पनी, आगरा बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के मामले में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16-3-2010 द्वारा विभाग को रिफण्ड विलम्ब से देने के लिए नियमानुसार देय ब्याज के साथ-साथ विलम्ब से देय ब्याज पर भी 10 प्रतिशत की दर से ब्याज दिये जाने के साथ रु010,000=00 की कास्ट एवार्ड करने का आदेश दिया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मुख्यालय के निर्देशों का अनुपालन नही किया जा रहा है। साथ ही साथ उच्चाधिकारियों द्वारा भी रिफण्ड के मामलों की निगरानी नही की जा रही है जो कदापि क्षम्य नही है।

अत: निर्देश दिये जाते हैं कि व्यापारी को नियमानुसार समय से देय वापसी योग्य धनराशि का रिफण्ड दिया जाना सुनिश्चित करें, ताकि अनावश्यक ब्याज देयता की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि किन्हीं विशेष कारणों से रिफण्ड देने में कुछ विलम्ब होता है तो ब्याज देने के लिए शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराते हुए नियमानुसार ब्याज देना सुनिश्चित किया जाय।

भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि उपर्युक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा व्यापारी को समय से रिफण्ड नही दिया गया है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही साथ ब्याज की धनराशि की वसूली भी सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जायेगी।

सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0 नु0शा0) (जैसी भी स्थिति हो) का भी उत्तरदायित्व होगा कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर पर देय रिफण्ड के मामलों का व्यक्तिगत ध्यान देते हुए निस्तारण कराना सुनिश्चित कराये और यदि किसी मामले में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर द्वारा भी रिफण्ड के मामलों का समयान्तर्गत निस्तारण नही कराया गया तो उनका भी उत्तरदायित्व मानते हुए उनसे भी वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। ह0/-

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>प0पत्र संख्या व दिनांक उक्त।</u>

<u>प्रतिलिपि</u>-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, वाणिज्य कर/मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3- अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
4- एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/2(उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
6- अपर निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर,लखनऊ।
7- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
8- न्याय अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को दस प्रतियॉ/मैनुअल अनुभाग को पॉच प्रतियॉ अतिरिक्त।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।